न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर (राज0)

अपील संख्या	रजि0न0	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12/97/2022	2022/172	23.05.2022	12.09.2022

1. नत्थीलाल पुत्र भौंरेलाल, जाति मीणा, निवासी ग्राम गांवडी, तहसील लक्ष्मणगढ जिला अलवर राजस्थान।

–अपीलाण्ट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये नायब तहसीलदार लक्ष्मणगढ, तहसील लक्ष्मणगढ, जिला अलवर।

–रेस्पोडेन्ट

अपील धारा 75 भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध आदेश दिनांक 22.02.2022 नायब तहसीलदार लक्ष्मणगढ प्रकरण संख्या 07/2021

उपस्थितः–

01. श्री जगदीश चंद सतीजा –वकील अपीलाण्ट
02. राजकीय अभिभाषक – रेस्पोडेन्ट

–:: निर्णय ::–

अपीलान्ट ने यह अपील नायब तहसीलदार लक्ष्मणगढ के निर्णय दिनांक 22.02.2022 प्रकरण संख्या 07/2021 जिसके द्वारा संवत 2078 वाके ग्राम खुडियाना की आराजी खसरा न0 150 रकबा 0.23 है0 किस्म गैर मुमकिन रास्ता में से अतिक्रमित रकबा 0.15 है0 में सरसों,गेंहू की फसल काश्त कर अतिक्रमण करने पर बेदखली की कार्यवाही किये जाने से व्यथित होकर पेश की है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पौ0 को जरिये नोटिस तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 22.02.2022 को अन्तर्गत धारा 91(3) राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 के अन्तर्गत नोटिस इस आशय का जारी किया गया कि ग्राम खुडियाना पटवारी की रिपोर्ट के मुताबिक खसरा न0 150 रकबा 0.23 है0 में से 0.15 है0 पर सरसों गेंहू की फसल अतिक्रमी द्वारा बोना बताते हुए नोटिस जारी किया गया। प्रकरण दर्ज किया जाकर अपीलान्ट को बेदखली आदेश दिए गए। आलोच्य आदेश दिनांक 22.02.2022 का है, जिस आदेश की नकल लेने पर पूर्ण तथ्यों की जानकारी हुई किन्तु अपीलान्ट लू–गर्मी के कारण बीमार हो गया। इस कारण से अन्दर अवधि अपील प्रस्तुत नहीं कर पाया। अब अपीलान्ट की

अतिरिक्त जिला कलैक्टर
(द्वितीय) अलवर (राज0)

तबीयत ठीक होने के कारण बिना देरी के पेश है। देरीना को माफ करने हेतु अलग से दफा 05 का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। देरीना को माफ की जाकर अपील अन्दर अवधि स्वीकार की जावे। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय से यह स्पष्ट है कि अपीलान्ट को सुनवाई का मौका नहीं दिया गया। प्रथम तारीख पेशी दिनांक 22.02.2022 को जबाब हेतु नियत की गई थी और उसी दिन निर्णय पारित कर दिया गया। आलोच्य आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के खिलाफ है। इस आधार पर आलोच्य आदेश निरस्त किए जाने योग्य हैं। अपीलान्ट द्वारा खसरा न0 150 पर अतिक्रमण होना बताया गया है। अपीलान्ट के कब्जे में नहीं है और न ही अपीलान्ट द्वारा कोई अतिक्रमण किया गया है। अपीलान्ट की आराजी तरफ उत्तर में आराजी खसरा न0 151, 152, 155, 156 के खातेदारान द्वारा कब्जा किया हुआ है। जिसकी पैमाइश की जाकर अतिक्रमण से स्वतः ही स्थिति स्पष्ट हो जायेगी और इस संबंध में अपीलान्ट ने तहत न्यायालय में सहमति व्यक्त की किन्तु तहत न्यायालय में उन तथ्यों पर गौर न करते हुए आलोच्य आदेश पारित कर दिए गए जो विधि विरूद्ध है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार लक्ष्मणगढ जिला अलवर के आदेश दिनांक 22.02.2022 को निरस्त फरमावें।

राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलान्ट द्वारा राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार आराजी खसरा न0 150 रकबा 0.23 है0 में से 0.15 है0 गैर मुमकिन रास्ता पर सरसों, गेंहु की फसल काश्त कर अतिक्रमण किया गया है। जो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश पारित किया गया, वह विधि अनुरूप पारित किया गया है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज किया जाने योग्य है।

अपीलान्ट द्वारा अपील करने में हुए विलम्ब को माफ किए जाने हेतु दफा 05 कानून मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र पृथक से पेश किया गया। अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत दफा 05 कानून मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई। अतः तथ्यों पर सहानुभूति पूर्वक विचार कर अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत दफा 05 कानून मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। पटवारी हल्का खुडियाना द्वारा अतिक्रमण रिपोर्ट व खसरा परिवर्तशील संवत 2078 आराजी खसरा न0 150 रकबा 0.23 गैर मुमकिन रास्ता में से 0.15 है0 पर नत्थीलाल पुत्र भौंरेलाल मीना निवासी गांवडी द्वारा सरसों, गेंहु की फसल काश्त करने की रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 31.01.2022 के द्वारा अपीलान्ट अतिक्रमियों को नोटिस जारी किया गया जो अतिक्रमी को विधिवत तामील होकर संलग्न पत्रावली है। अपीलान्ट द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर जबाव पेश किया गया। जबाव में अंकित किया गया है कि प्रार्थी का आराजी खसरा न0 150 से लगता हुआ आराजी खसरा न0 142 है। जो कि प्रार्थी ने क्रय किया था। तक से ही अपने खेत को बोता–जोतता रहा हूं और मैंने कोई अतिक्रमण नहीं किया है। यदि पैमाईश में कोई अतिक्रमण पाया जाता है तो उसे छोडने को तैयार है। जबकि आराजी खसरा न0 151, 152 के काश्तकारों का उक्त आराजी पर कब्जा है। पटवारी हल्का की बेदखली रिपोर्ट 03.03.2022 द्वारा अपीलान्ट अतिक्रमी को मौके से बेदखल कर बेदखली रिपोर्ट संलग्न पत्रावली है। तहसीलदार के पत्र क्रमांक 41 दिनांक 01.06.2022 से प्राप्त पटवारी हल्का खुडियाना की रिपोर्ट के अनुसार

अतिरिक्त जिला कलैक्टर
(द्वितीय) अलवर (राज०)

आराजी खसरा न0 150 रकबा 0.23 है0 सरकारी गैर मुमकिन रास्ता दर्ज रिकॉर्ड है। आज दिनांक 01.06.2022 को मौका देखने पर पाया की उक्त सरकारी रास्ते को पडोसी खातेदार नत्थीलाल पुत्र भौंरेलाल जाति मीना द्वारा अपने खातेदारी के खेत में मिला रखा है।

हमने न्यायालय की पत्रावली का एवं पत्रावली में संलग्न समस्त दस्तावेजात का अवलोकन एवं चिन्तन–मनन किया। अपील व अपीलान्ट वकील की बहस एवं पत्रावली में संलग्न दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर अपीलान्ट ने प्रश्नगत विवादित आराजी खसरा न0 150 रकबा 0.23 है0 गैर मुमकिन रास्ता के लगता हुआ आराजी खसरा न0 142 है। जो अपीलान्ट द्वारा क्रय किया जाना बताया गया तब से ही उक्त आराजी पर कब्जे काश्त करता चला आ रहा है। अपीलान्ट का यह कहना कि मैने उक्त आराजी पर किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं किया है बल्कि तरफ उत्तर के लगते हुए आराजी खसरा न0 151, 152, 155, 156 के खातेदारों द्वारा अतिक्रमण किया गया है। उक्त कथन के समर्थन में अपीलान्ट द्वारा कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया गया।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न पटवारी हल्का खुडियाना की रिपोर्ट एवं खसरा परिवर्तनशील संवत 2078 के अनुसार अपीलान्ट के विरूद्ध आराजी खसरा न0 150 रकबा 0.23 गैर मुमकिन रास्ता में से 0.15 है पर सरसों और गेंहु की फसल काश्त करने की रिपोर्ट की गई है। इसी आधार पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा आलोच्य निर्णय पारित किया गया है। अपील के दर्ज होने के दौरान मौके की रिपोर्ट तहसीलदार लक्ष्मणगढ से ली गई। नायब तहसीलदार लक्ष्मणगढ के पत्र क्रमांक 41 दिनांक 01.06.2022 एवं तहसीलदार भू0 अ0 के पत्रांक 3451 दिनांक 20.06.2022 के साथ संलग्न पटवारी रिपोर्ट के अनुसार आराजी खसरा न0 150 रकबा 0.23 है0 गैर मुमकिन रास्ता दर्ज रिकॉर्ड है। दिनांक 01.06.2022 को मौका देखने पर पाया की उक्त सरकारी रास्ते पर पडोसी खातेदार नत्थीलाल पुत्र भौंरेलाल जाति मीणा द्वारा अपने खातेदारी के खेत में मिला रखा है एवं पटवारी हल्का की बेदखली रिपोर्ट 03.03.2022 के द्वारा अतिक्रमी नत्थीलाल पुत्र भौंरेलाल को आराजी खसरा न0 150 अतिक्रमित रकबा 0.15 है0 से बेदखली किया जाना अंकित है। बेदखली रिपोर्ट संलग्न पत्रावली है। उक्त सभी तथ्यों के आधार पर अपीलान्ट को प्रस्तुत अपील में किसी प्रकार का अनुतोष दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होने से अधीनस्थ न्यायालय के पारित निर्णय दिनांक 22.02.2022 में कोई हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं। अतः अपील अपीलान्ट खारिज होने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार लक्ष्मणगढ के निर्णय दिनांक 22.02.2022 को यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रमाणित प्रति अधीनस्थ अदालत को मूल रिकॉर्ड के साथ पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तामील तकमील लेख भण्डार हो।

निर्णय आज दिनांक 12.09.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्या० अति० जि० कले० एवं अति० जि० मजि० प्रशासन (द्वितीय) अलवर
राजस्थान सरकार

12.9.2022

(वंदना खोरवाल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
(द्वितीय) अलवर (राज0)